निर्णय व इजलास श्री अभिमन्यु सिंह कुन्तल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 143/22
दायरा दिनांक :– 07.10.2022
निर्णय दिनांक :– 17/01/2025

उनवान

1. विष्णुगोपाल आयु 50 वर्ष पुत्र श्री बृजमोहन शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बामला तहसील बारां जिला बारां राज0
2. श्रीमति विजया शर्मा आयु 48 वर्ष पत्नी श्री विष्णु कुमार उर्फ विष्णुगोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी बामला तहसील बारां जिला बारां राज0

वादीगण–

बनाम

1. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, बारां जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, राज.टी.एक्ट एवं
धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट
निर्णय दिनांक :– 17/01/2025

अभिभाषक उपस्थित :– श्री धर्मेन्द्र सिंह सोंलकी एड0 – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, राज.टी.एक्ट एवं धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया, कि वाके माल बामला तहसील बारां में पूर्व आराजियात पुराना खसरा नं0 2585/440 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा खसरा नं0 2597/557 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा खसरा नं0 938 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा खसरा नं0 1608/942/923/943 रकबा 41 बीघा 1 बिस्वा कुल 4 किता कुल रकबा 48 बीघा 14 बिस्वा मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2012–2015 में दर्ज थी वादी क्रम 1 व 2 के दादा/दादी ससुर माधो पुत्र श्री गोपीलाल जाति ब्राहम्ण वास गांव बामला राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। जो इस वाद पत्र की विषयवस्तु है तथा इसे आगे विवादित भूमि कहा गया है। कि प्रतिवादी द्वारा सम्वत 2015–24 के लिये नवीन बंदोबस्त करवाने पर विवादित भूमि के नये खसरा नं0 443 रकबा 18 बिस्वा खसरा नं0 558 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा खसरा नं0 976 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा खसरा नं0 980 रकबा 40 बीघा 8 बिस्वा कायम किया गया है। जिसे हाल सेटलमेन्ट संख्या में नये खसरा नं0 583 रकबा 0.19 हे0 खसरा नं0 787 रकबा 0.18 हे0 खसरा नं0 965 रकबा 0.02 हे0 खसरा नं0 966 रकबा 6.50 हे0 खसरा नं0 981 रकबा 0.79 हे0 कुल 5 कुल रकबा 7.68 हे0 कायम किये है जो हाल जमाबन्दी संख्या 2072–2075 में आराजियात खसरा नं0 583 रकबा 0.19 हे0 खसरा नं0 787 रकबा 0.18 हे0 खसरा नं0 965 रकबा 0.02 हे0 खसरा नं0 966 रकबा 6.50 हे0 खसरा नं0 981 रकबा 0.79 हे0 कुल 5 कुल रकबा 7.68 हे0 वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। कि जमाबन्दी संख्या 2012–2015 के अनुसार गत सेटलमेन्ट में सुधारण गुणन के अनुसार भी 48 बीघा 14 बिस्वा का क्षैत्रफल नवीन राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
बारां

में 7.82 हे0 होना चाहिये था। इसके विपरित प्रतिवादी ने आराजी का रकबा मात्र 7.68 हे0 ही कायम किया है। इस प्रकार वादी की भूमि का रकबा 0.14 हे0 कम दर्ज किया गया है। जिससे वादीगण के सांपत्तिक अधिकारों को खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो गई है। कि प्रतिवादी का विधिक दायित्व था कि वह वादीगण की विवादित भूमि का रकबा नवीन राजस्व रिकार्ड में सही तौर पर यथापूर्व स्थिति अनुसार दर्ज करता। मौके पर वादीगण 7.82 हे0 भूमि पर ही काबिज हैं प्रतिवादी ने बंदोबस्त करते समय गलती भूल से रकबा कम किया है जो अक्षम्य है। कि वादीगण की भूमि का रकबा कम हो जाने से वादीगण अपने को प्राप्त खातेदारी अधिकारों से वंचित हो गये है। वादीगण राजस्व रिकार्ड में यथापूर्व स्थिति अनुसार भूमि का रकबा सही दर्ज करा पाने के अधिकारी एवं नालिशी है। इस बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणार्थ वाद पेश है। कि वादीगण को राजस्व रिकार्ड में हुई गलती की जानकारी दिनांक 12.09.2022 को हाने पर नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल पूर्व जमाबन्दी सम्वत 2015–2024 एवं मिलान क्षैत्रफल को प्राप्त होने पर हुई अस्तू वाद अंदर मियाद पेश है। कि प्रतिवादी को पक्षकार बनाने से पूर्व नियमानुसार राज0 सरकार जर्ये जिला कल्क्टर बारां धारा 80 जा0दी0 के तहत विधिक नोटिस प्रेषित कर दिया है जो प्रतिवादी को प्राप्त हो गया है। वादीगण के खाते में दर्ज कम रकबा आराजी को सरकार द्वारा आवंटन कर दिया गया तो वादीगण को कई मुकदमें बाजी में उलझना पडेगा। इसलिये वाद आवश्यक प्रकृति का होने से नाकटिस मियाद समाप्ति से पूर्व ही माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः धारा 80(2) जा0 दी0 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत है धारा 80(2) सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र प्रथक से पेश है। कि न्यायशुल्क के प्रयोजन से विवादित भूमि के निर्धारित लगान का 20 गुना कायम किया जाकर निश्चित न्यायशुल्क अदा करते हुए वाद प्रस्तुत है। कि माननीय न्यायालय को वाद के परीक्षण का आर्थिक एवं क्षैत्रिक अधिकार प्राप्त है। अतःवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी बाद विचारण सादर डिक्री निम्नानुसार जारी फरमाया जावें:–

1– कि वादी की भूमि विवादित पूर्व पुराना खसरा नं0 2585 / 440 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा खसरा नं0 938 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा खसरा नं0 1608 / 942,923 / 943 रकबा 41 बीघा 1 बिस्वा कुल 4 किता कुल रकबा 48 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम बामला तहसील बारां को यथापूर्व स्थिति अनुसार हाल आराजियात खसरा नं0 583 रकबा 0.19 हे0 खसरा नं0 787 रकबा 0.18 हे0 खसरा नं0 965 रकबा 0.02 हे0 खसरा नं0 966 रकबा 6.50 हे0 खसरा नं0 981 रकबा 0.79 हे0 कुल 5 कुल रकबा 7.68 हे0 के स्थान पर रकबा 7.82 हे0 कायम करवाया जावें एवं पुराने रिकार्ड के अनुसार हाल नक्शा ट्रेस लठ्ठा पटवारी नक्शा जिला भूअभिलेख विभाग में भी दुरूस्ती की जावें इस बाबत प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से भी पाबन्द किया जावें कि वादीगण को विवादित भूमि का रकबा 7.82 हे0 का खातेदार स्वीकार करते हुये अतिरिक्त भूभाग से बेदखल नही करें। क्योकि वादीगण रकबा 7.82 हे0 भूमि को अपने कब्जे मे रख पाने का अधिकारी है। इस बाबत राजस्व रिकार्ड की समस्त प्रविष्टियों को दुरूस्त किये जाने की आज्ञप्ति भी जारी फरमाई जावें। अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान करें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बामला सम्वत 2012–15 खाता संख्या 15, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम बामला सम्वत 2015–24, नकल खतोनी बन्दोबस्त ग्राम बामला सम्वत 2015–24, नकल जमाबन्दी ग्राम बामला सम्वत 2032–35 खाता संख्या 132,

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2038–57, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2038–57, नकल जमाबन्दी ग्राम बामला सम्वत 2072–75, खाता संख्या 481 नकल खतोनी बन्दोबस्त ग्राम बामला सम्वत 2015–24 नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2015–24 खाता संख्या 239, नकल खतोनी बन्दोबस्त सेटलमेन्ट विभाग सम्वत 2015–24 नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2015–24, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बामला नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बामला सन् 1978–79, पेश किया गया। साक्ष्य वादी में PW1 विष्णुगोपाल के बयान कराये गयें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बामला तह0 बारां में स्थित है जो सम्वत 2012–15 में वादी क्रम 1 व 2 के दादा/दादी ससुर श्री माधो पुत्र गोपीलाल जाति ब्राहम्ण सा0 बामला के खातेदारी में थी सम्वत 2015–24 बन्दोबस्त के समय नये खसरा नं0 443 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नं0 558 रकबा 1.11 बीघा, खसरा नं0 976 रकबा 5.03 बीघा, खसरा नं0 980 रकबा 40.08 बीघा कायम किया गया। जिसे हाल सेटलमेन्ट नये खसरा नं0 583,787,965,966,981 कुल किता 5 रकबा 7.68 हे0 कायम किया था जो हाल जमाबन्दी सम्वत 2072–75 में कुल किता 5 रकबा 7.68 हे0 वादी गण के नाम दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2012–15 के अनुसार गत सेटलमेन्ट में 48.14 बीघा का नवीन क्षेत्रफल 7.82 हे0 होना चाहिये था जो मात्र 7.68 ही कायम किया है इस प्रकार वादी की 0.14 हे0 भूमि कम दर्ज की गई है मौके पर वादी गण 7.82 हे0 भूमि पर काबिज काश्त है प्रतिवादी पेरोकार सरकार द्वारा बन्दोबस्त के समय वादी गण का 0.14 हे0 भूमि कम दर्ज की गई है जिसे दुरूस्त कराने का वादी अधिकारी है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जावें तथा वादीगण की भूमि 7.68 हे0 के स्थान पर 7.82 हे0 कायम किया जावें तथा पुराने रिकार्ड के अनुसार हाल नक्शा ट्रेस, लटठा पटवारी, नक्शा जिला भू–अभिलेख विभाग में दुरूस्ती की जावें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बामला सम्वत 2012–15 खाता संख्या 15 में माधो बेटा गोपीलाल ब्राहम्ण वास गांव कुल 48.14 बीघा दर्ज रिकार्ड है। नकल खतोनी बन्दोबस्त (सेटलमेन्ट विभाग) सम्वत 2015–24 में खसरा नं0 कुल किता 4 रकबा 48 बीघा माधोलाल वल्द गोपीलाल कोम ब्राहम्ण सा. देह का नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी ग्राम बामला सम्वत 2032–35 में कुल 48 बीघा भूमि बृजमोहन पुत्र माधोलाल व मुस0 औकारी देवा माधोलाल कोम ब्राहम्ण का नाम दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम बामला सम्वत 2038–57 खाता संख्या 213 में विष्णु कुमार पुत्र व प्रेम बाई पत्नी बृजमोहन ब्राहम्ण का नाम दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम बामला सम्वत 2072–75 खाता संख्या 481 में वादी गण का नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि सम्वत 2012–15 की जमाबन्दी में वादी गण के पूर्वज के खाते में कुल 48.14 बीघा भूमि दर्ज थी। जो सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सम्वत 2015–24 की जमाबन्दी में वादीगण के पूर्वज के खाते में 48 बीघा भूमि ही दर्ज कर दी गई जो 14 बिस्वा भूमि कम है। वर्तमान में 7.82 हे0 के स्थान पर 7.68 हे0 भूमि दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी को 0.11 हे0 भूमि की कमी पूर्ति की जानी है लेकिन प्रार्थी 0.11 हे0 भूमि में से 0.08 हे0 भूमि की पूर्ति खसरा नं0 967 रकबा 0.69 में से कर दी जावें तो प्रार्थी सहमत है।

तहसीलदार बारां से इस संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार बारां में रिपोर्ट में बताया कि ग्राम बामला की जमाबन्दी सम्वत 2012–15 के खाता संख्या 15 पर खसरा नं0 2585/440 रकबा 1.01 बीघा, खसरा नं 2597/557 रकबा 1.09 बीघा, खसरा नं0 938 रकबा 5.03 बीघा, खसरा नं0 1608/942, 930, 943 रकबा 41.01 बीघा कुल 4 किता रकबा 48.14 बीघा भूमि खातेदार माधो पुत्र गोपीलाल जाति ब्राहम्ण साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी। इसके बाद हुए सेटलमेन्ट सम्वत 2015–24 में खातेदार माधोलाल पुत्र गोपीलाल कोम ब्राहम्ण सा0 देह के नाम खसरा नं0 443 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नं0 558 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा,

उपखण्ड अधिकारी
बारां

खसरा नं0 976 रकबा 5 बीघा 03 बिस्वा, एवं खसरा नं0 980 रकबा 40 बीघा 08 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 48 बीघा भूमि दर्ज की गयी। जो गत रकबे 48 बीघा 14 बिस्वा की तुलना में 48 बीघा भूमि दर्ज की गयी जो गत रकबे से 14 बिस्वा कम दर्ज की गयी सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2015–24 में दर्ज रकबे 48 बीघा के अनुरुप ही सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2038–57 के खाता संख्या 213 पर कुल किता 5 रकबा 7.68 हे0 दर्ज किया गया है इस प्रकार वादीगण के रकबे मे हुई 14 बिस्वा की कमी गत सेटलमेन्ट 2015–24 के दौराने हुई है। इस प्रकार वादीगण के रकबे में गत सेटलमेन्ट 2015–24 में हुई कमी 14 बिस्वा यानि 0.11 हे0 की कमी में से 0.08 हे0 की पूर्ति हाल खसरा नं0 967 रकबा 0.69 हे0 मे से किया जाना अपेक्षित है क्योकि हाल खसरा नं0 967 रकबा 0.69 हे0 का रकबा सेटलमेन्ट से पूर्व 3 बीघा 16 बिस्वा था जो कि 0.61 हे0 की एवज में 0.69 दर्ज किया गया है तथा साथ ही हाल खसरा नं0 967 का नक्शा भी गत नक्शे के अनुरुप किया जाना अपेक्षित है तहसीलदार बारां की रिपोर्ट एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण की कुल भूमि 48 बीघा 14 बिस्वा यानि की 7.79 हे0 को कम कर 48 बीघा यानि कि 7.68 हे0 दर्ज किया गया जो 0.11 हे0 कम है जिसे वादी दुरूस्त कराने का अधिकारी किया जाना बताया है तथा इसके आधार पर नक्शा दुरूस्त किया जाना है। तहसीलदार बारां ने रिपोर्ट में 0.11 हे0 के स्थान पर 0.08 हे0 भुमि की कमी पूर्ति किया जाना उचित बताया है। जिससें वकील वादी सन्तुष्ट है। तहसीलदार बारां की रिपोर्ट एवं वादीगण की सहमति के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर वादीगण को 0.08 हे0 भूमि की पूर्ति किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद तहसीलदार बारां की रिपोर्ट के आधार पर आंशिक स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम बामला तह0 बारां के खाता संख्या 481 के कुल खसरा नं0 5 किता रकबा 7.68 हे0 में 14 बिस्वा यानि 0.11 हे0 की कमी में से 0.08 हे0 की पूर्ति खसरा नं0 967 रकबा 0.69 हे0 में से खसरा नं0 965, 966 में पूर्ति किया जाकर पुराने रिकार्ड अनुसार सम्वत 2011 के नक्शे अनुसार सम्वत नक्शा हाल नक्शा ट्रेस, लट्ठा पटवारी, नक्शा जिला भू–अभिलेख में दुरूस्ती करने के आदेश तहसीलदार बारां को दिये जाते है तद्नुरुप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां